भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

साँची घी

जिला वितरक हेतु

आवेदन–प्रपत्र वर्ष 2018

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755. 2680250 से 53
फैक्स नम्बर –0755. 2450896
E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com
फैक्स नम्बर –0755. 2450896

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

साँची घी जिला वितरण कार्य हेतु नवीन आवेदन प्रपत्र

1	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**05.03.18 दोपहर 02:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल**
2	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	**05.03.18 अपरान्ह 3:00 बजे**
3	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	**रू.1000/– (एक हजार रूपये मात्र)**
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	**आवेदन के साथ रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो**
5	आवेदन खोलने का स्थान	**मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल**
6	जिला वितरक हेतु तकनीकी अहर्ताएं का प्रारूप	**प्रपत्र 01**
7	जिला वितरक की सामान्य शर्ते	**प्रपत्र 02**
8	अनुबंध प्रारूप	**प्रपत्र 03**

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र क्र.01 ''तकनीकी अर्हतायें'' प्रपत्र क्रमांक 02 ''आवश्यक शर्तें एवं प्रपत्र 03 ''आवेदन पत्र'' को बन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे, एवं लिफाफे पर ''जिला वितरक हेतु आवेदन'' लिखा जावे साथ ही लिफाफो पर प्रेषक का नाम, पता अंकित किया जावे।
- आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के बिना प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदक द्वारा प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

प्रपत्र 01

प्रति, **तकनीकी अर्हतायें**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

साँची घी जिला वितरक कार्य हेतु भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जिला भोपाल, रायसेन, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, गुना, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल तथा शुजलापुर तहसील में दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 100000/– (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक ....जो कि, ...बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल /मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4	आवेदनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
5	**जीएसटी नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में निविदाकार को जीएसटी नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य**		जीएसटी नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें।
6	**उपलब्ध वाहनों का प्रकार/किराये/** नया वाहन खरीदने के स्थिति में तदाशय का शपथ–पत्र संलग्न करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें।
7	**बैंक का नाम व खाता क्रमांक**		बैंक स्टेटमेन्ट की विगत एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
8	**वित्तीय वर्ष 2015–16 (कर निर्धारण वर्ष 2016–17 एवं 2017–2018) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण**		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी।
9	**FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है।**		FSSAI लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।
10	**घी या अन्य एफएमसीजी व्यवसाय का अनुभव होना अनिवार्य है।**		लेटर हेड पर स्वंय का प्रमाणित वचनपत्र प्रस्तुत करें।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––––––

नाम :– ––––––––––––––––––––––––––––

पता :– ––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

मोबाईल नं.––––––––––––––––––––––––

प्रपत्र क्र.02

साँची घी वितरक हेतु आवश्यक शर्ते :-

1. आवेदनकार्ता को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदक को आवेदन के साथ रू.1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. जिला वितरक को दुग्ध संघ में जिला भोपाल हेतु प्रतिभूति राशि रू.500000/– (पांच लाख रूपये मात्र) नगद तथा रू.1500000/– (पन्द्रह लाख रूपये मात्र) की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर तथा अन्य जिलों हेतु राशि रू.200000/– (दो लाख रूपये मात्र) नगद तथा रू.300000/– (तीन लाख रूपये मात्र) की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर स्वयं तथा भोपाल दुग्ध संघ के संयुक्त नाम से जमा करना होगी।
4. जिला वितरक के पास विगत तीन वर्षो में संयुक्त रूप से जिला भोपाल हेतु रू.20 करोड़ तथा अन्य जिलों हेतु रू.05 करोड़ का कुल टर्न ओव्हर होना अनिवार्य होगा। टर्न ओव्हर सत्यापित करने हेतु उसे विक्रय कर निर्धारित हेतु प्रस्तुत किये गये लेखों की प्रति एवं बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना होगा।
5. खाद्य तेल व्यावसाय अथवा एफएमसीजी एवं किसी भी प्रसिद्ध कम्पनी से वितरक के रूप में जुड़े आवेदनकर्ता को वरीयता दी जाएगी। एक से अधिक उपयुक्त आवेदन प्राप्त होने पर सेल्स टर्न ओव्हर एवं अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा।
6. जिला वितरक को माह के व्यवस्थित भंडारण हेतु गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले वाहनों की व्यवस्था भी करनी होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।
7. जिला वितरक को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार ही मांग की पूर्ती की जा सकेगी। मांग अनुसार घी का प्रदाय संयंत्र वितरण डॉक से किया जाएगा।
8. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार अग्रिम भुगतान पर घी का प्रदाय किया जाएगा।
9. जिला वितरक को घी प्राप्त करते समय उसकी जांच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट हानि की जिम्मेदारी वितरक की रहेगी।
10. जिला वितरक को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार रू.1000/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। साथ ही जिला वितरक को दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोषजनक होने पर इसमें प्रबंध के निर्णय अनुसार एक–एक वर्ष की तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

11. दुग्ध संघ से सीधे घी प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को प्रदाय का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

12. दुग्ध संघ से क्रय की जाने वाली मात्रा की राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी।

13. जिला वितरक को भोपाल दुग्ध संघ के क्षेत्रों में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।

14. जिला वितरक द्वारा वर्तमान विक्रय के आधार पर जो भी मासिक लक्ष्य दिये जाते है, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में दुग्ध संघ द्वारा जो भी अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा वह जिला वितरक को मान्य होगा।

15. जिला वितरक विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवाएगा।

16. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

17. प्राप्त आवेदन की समीक्ष गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

18. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

मेरे द्वारा साँची घी जिला वितरक हेतु आवेदन एवं समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 18 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ व मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र क्र.03

जिला/तहसील............................ में साँची घी वितरक हेतु आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता स्वयं का रंगीन फोटो चस्पा करें।

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. स्थाई/वर्तमान पता ....

....

....

4. दूरभाष/मोबाईल नं. ....

5. शैक्षणिक योग्यता ....

6. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेज़ों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ....

....

7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कंपनियों के कार्य का विवरण व प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

....

8. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओव्हर (टर्न ओव्हर का प्रमाणपत्र संलग्न करें)...............................

....

9. FSSAI लाइसेंस नं ....

10. (अ) पेन नम्बर ....

(ब) FSSAI ....

(द) GSTIN नम्बर ....

(समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

11. वित्तीस स्थित (बैंक खाता नं.) ....

(अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा ....

(ब) बैंक व वित्तीय संस्था में जमा राशि ....

(गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें)

12. जिला वितरक हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था..

....

13. वाहन की व्यवस्था (वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें, अथवा विवरण दे)............

....

14. धरोहर राशि। रू...

डी.डी. / एम.आर नं. ....

दिनांक .... प्रारूप 01 के साथ संलग्न है)

मेरे द्वारा साँची घी वितरकशिप संबंधि इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

वचन–पत्र

मैं.................................... निवासी....................................भोपाल दुग्ध संघ में .... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम––––––––––––

पता ––––––––––––
––––––––––––––––
––––––––––––––––
हस्ताक्षर––––––––––––

वचन–पत्र

मैं ....निवासी ....भोपाल दुग्ध संघ में .... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे भोपाल दुग्ध संघ द्वारा आवंटित किसी भी कार्य में अनुबंध की नियम शर्तों का उल्लंघन करने से कार्य निरस्त अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम————————

पता ————————
——————————
——————————
हस्ताक्षर—————————

प्रपत्र क्र.04

<u>साँची घी जिला वितरक अनुबंध पत्र</u>

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं मेसर्स/श्री .... जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची घी ....जिला वितरक कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :—

1. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची घी वितरण/विक्रय हेतु सम्पूर्ण आवंटित जिला हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से दो वर्ष की अवधि हेतु जिला वितरक नियुक्त किया गया है। जिसे कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में प्रथम पक्ष की सहमति अनुसार एक—एक वर्ष के मान से 03 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में प्रतिभूति स्वरूप राशि रू............................/— शब्दों में (..... ....) नगद एवं रू.............................../— शब्दों में (.................................... ....) की बैंक गारंटी/संयुक्त एफ.डी.आर जमा की गई है, इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा माल प्रदायगी रोक दी जावेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त दैनिक उठाये जाने वाले घी की राशि अग्रिम आर.टी.जी.एस के माध्यम से अथवा नगद दुग्ध संघ, भोपाल में जमा कर जमा रसीद (एम.आर)/आर.टी.जी.एस विवरण की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी घी का प्रदाय किया जा सकेगा।
4. प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/जिला वितरक को अपनी जमा बैंक गारंटी का 80% तक का माल प्रदाय किया जा सकेगा, जो द्वितीय पक्षजिला वितरक को मान्य करना अनिवार्य होगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष/जिला वितरक को उनकी मांग एवं दुग्ध संघ में उपलब्धता अनुसार घी का प्रदाय विभिन्न पैकिंग में करेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/जिला वितरक उसी ईकाई/केस/कार्टन (1 ली, 500 एम.एल. 200 एम.एल, 05 लीटर तथा 15 किलो पैक में) विक्रय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। खुला घी विक्रय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र स्टोर से प्रातः 10:30 बजे से सांय 5:00 बजे के मध्य घी का प्रदाय किया जावेगा।
6. प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करें कि द्वितीय पक्ष साँची घी विक्रय का वितरण समान रूप से वितरक की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से घी की आपूर्ति करेंगे एवं इस बात की तस्दीक करेंगे की द्वितीय पक्ष/जिला वितरक द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जान बूझकर लापरवाही की जा रही है, पाया जाता है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की वितरकशिप समाप्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. यह कि द्वितीय पक्ष को घी विक्रय वृद्धि हेतु दुग्ध संघ द्वारा विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश में उल्लेखित किये गये हैं।
8. जिला वितरक द्वारा यदि वर्तमान विक्रय के आधार पर जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में जिला वितरक को दी

जाएगी, उसकी 50 प्रतिशत राशि दुग्ध संघ जिला वितरक की जमा अमानत राशि राजसात कर जिला वितरक का कार्य आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

9. प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा की वह द्वितीय पक्ष के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा तथा उसी अनुसार वितरकशिप और व्यवहार आगे बढ़ाई जाना है अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।
10. द्वितीय पक्ष/जिला वितरक द्वारा घी वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घंटे के पूर्व नियम समय अवधि तक अग्रिम लिखित में प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जाएगा।
11. द्वितीय पक्ष/जिला वितरक द्वारा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ से उठायी गई घी मात्रा का लेखा जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे एवं प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम. एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
12. द्वितीय पक्ष/जिला वितरक घी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, संयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात् किसी भी शिकायत को मान्य नहीं किया जाएगा।
13. यदि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले घी पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
14. द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्ही भी आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेज़ों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ति सरकार या अनय किसी भी संस्था द्वारा की जाती है, तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।
15. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि दुग्ध संघ निर्मित घी के सेम्पल की मांग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष/जिला वितरक उन्हें सील बन्द ईकाई (घी) देगा, किसी भी स्थिति में खुला घी नहीं देगें, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
16. द्वितीय पक्ष/जिला वितरक द्वारा घी वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जाएगा। द्वितीय पक्ष अन्य दुग्ध संघ के क्षेत्र में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से घी प्रदाय नहीं कर सकेगा।
17. द्वितीय पक्ष ''साँची घी'' विक्रय हेतु आवंटित जिला हेतु अधिकृत जिला वितरक नियुक्त है, अतः छोटे छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर कर रखना होगा, जिससे साँची ब्राण्ड घी विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।

18. उक्त अनुबंध को प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा द्वितीय पक्ष/ जिला वितरक से वसूल करने हेतु अधिकारी प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
19. उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमें द्वितीय पक्ष/जिला वितरक पक्ष की सहमति भी ली जावेगी।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय, भोपाल रहेगा।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश–हवास में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

मैं .... पिता/पति/पत्नी..साँची घी जिला वितरक जिला. ....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती.. को घोषित करता/ करती हूँ।

साँची घी जिला वितरक के हस्ताक्षर ....

नाम..

पता...

....

1.गवाह के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पताः–.................................

मर्या.

....

....

2.गवाह के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पताः–.....................................

....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)
भोपाल सह.दुग्ध संघ